21 जुलाई, 2010 को 1730 बजे सम्मेलन कक्ष में प्रो. ए. दामोदरन द्वारा 'एनसर्किलिंग दि सीमलेस: इंडिया, क्लाइमेट चेंज, एंड दि ग्लोबल कॉमन्स' नामक पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी का अभिभाषण

यह एक अलग तरह की किताब है और मुझे इस बात की खुशी है कि दोपहर की इस सभा के बहाने मुझे इस पुस्तक के पन्नों को पलटने का अवसर मिल गया। देखने में यह पुस्तक परिचित विषय से संबंधित लगती है, परन्तु इस पर नूतन तथा अर्थपूर्ण ढंग से चर्चा की गई है। इस प्रक्रिया में यह कुछ प्रमुख प्रस्तावनाओं के बारे में सवाल करती है और शायद कुछ को ध्वस्त भी करती है।

प्रो. दामोदरन ने एक रोचक टिप्पणी यह की है कि जब उन्होंने वर्ष 2006 में इसे लिखना प्रारंभ किया था तब "जलवायु परिवर्तन निडर और प्रसिद्ध व्यक्तियों के रात्रि भोज की चर्चा का मुद्दा नहीं बना था।" उन्होंने यह बात स्वीकार की कि यदि वह बारह माह की मूल समय सीमा का पालन करते तो उनकी सभी बातें गलत हो जाती।

यह, वास्तव में, विषय के प्रति हमारी समझ में आए परिवर्तन का तरीका है।

प्रो. दामोदरन एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव करते हैं कि सबसे पहले विश्व की आम जनता स्थानीय जनता है। उनका यह निष्कर्ष भी समान रूप से प्रभावशाली है कि यदि विश्व की आम जनता को यंत्रीकरण और सुरक्षा के दायरे से मुक्त करके स्थानीय जनता के संघर्षों से जोड़ा जाता है तो उनका बेहतर तरीके से संरक्षण किया जा सकता है। इससे आधारभूत स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक हो जाएगा। यह कहना आसान है परंतु करना मुश्किल है। हम राष्ट्र-राज्यों की दुनिया में रहते हैं और ये अपने भीतर लोगों एवं समुदायों को जुटा कर बने

हैं। हमें अन्तर-राज्य सहयोग को समाहित करने वाले अधिराष्ट्र और उपराष्ट्रीय समूहों के प्रति नए रूझानों तथा प्राय: राष्ट्रीय संप्रभुता का क्षरण करके वैश्विक मानकों को निर्धारित करने की प्रवृति की जानकारी है।

प्रो. दामोदरन एक वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश करते हैं। 'उनका कहना है कि 'वास्तविक प्राथमिकता *एक वैश्विक शासन प्रणाली का होना है जो यंत्रवाद से मुक्त है। ऐसे संगठनों को, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राष्ट्रीय और स्थानीय आकांक्षाओं एवं पहचानों को महत्व प्रदान' कराना चाहिए। तथा साथ ही इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि विश्व की आम जनता के संरक्षण का मसला प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके*। वह इस बात का आग्रह करते हैं कि इसे वैश्विक पर्यावरणीय शासन के सिद्धांत के रूप में विविधता के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। इसलिए, वैश्विक अवधारणा और स्थानीय अनुप्रयोग को संयोजित करना तथा साथ ही संतुलन प्राप्त करना एवं बनाए रखना चुनौती पूर्ण है। पुस्तक के अंत में दिया गया उद्धरण इसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करता है:

"इससे अभिप्राय स्थानीय समुदायों का सुदृढ़ीकरण तथा समानता एवं न्याय के बृहत्तर मुद्दों की नीति निर्माताओं द्वारा जांच करने और साथ ही यह सुनिश्चित करने से है कि विविध अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते और बृहत् तकनीकी जटिलता सतत विकास की संकल्पना से सम्बद्ध समानता एवं न्याय के मौलिक लक्ष्य को दरकिनार नहीं करे। उदीयमान हो रही संप्रभुता की नई संकल्पना संप्रभुता की कानून-आधारित संकल्पना पर कम आधारित होगी....विश्व की आम जनता के सतत आर्थिक विकास का सर्वोत्तम तरीका वह है जो विविधता को अपनाता है और समानता एवं न्याय को छिपानेवाले आजादी और न्याय की चाह में मानव सभ्यता का ध्वंस करने वाले यंत्रवाद के पर्दे को हटा देता है। शायद विश्व को अपने सबसे बड़े लोकतंत्र से बहुलवाद और विविधता के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहिए।"

उक्त सिद्धांत प्रशंसनीय है, किन्तु इसे व्यवहार में लाने से जटिल समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिनका सबसे बड़े लोकतंत्र के दैनिक अनुभव से परीक्षण किया जा चुका है। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर यह समस्या कई गुना बढ़ जाएगी। लेखक यह मानते हैं कि वैश्विक पर्यावरणीय शासन की विशुद्ध संघीय संरचना को साकार करना आसान नहीं है।'

यह पुस्तक एक समस्या सामने रखती है। मैं यह फैसला करने में असमर्थ हूँ कि इसमें सुझाया गया हल पूर्णत: संतोषजनक है अथवा नहीं। किन्तु, यह निश्चित रूप से एक ऐसे विषय पर सोचने के लिए प्रेरित करेगी, जो मानवजाति के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम प्रो. दामोदरन के कृतज्ञ हैं।

यहां उपस्थित विशिष्ट श्रोतागण यह जानते ही होंगे कि विश्व की आम जनता तथा जलवायु परिवर्तन के संबंध में हमारी अपनी स्थिति स्पष्ट, सिद्धांत-आधारित और तर्कसंगत है। इसमें से अधिकांश लोग समानता, समान किन्तु भिन्न-भिन्न जिम्मेवारी और क्षमताओं से संबंधित सिद्धांतों को कमजोर करने का समर्थन नहीं करते हैं। हमारा यह मानना है कि समानता का सिद्धांत व्यक्ति के स्तर पर आरंभ होता है और विश्व के हर व्यक्ति का वैश्विक वातावरणीय क्षेत्र पर बराबर का हक है, जो मानवजाति का समान संसाधन है।